न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी – अशोक कुमार साँखला, आर0 ए0 एस0)

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या :– 44/2019

उनवान:– 1. सरदार सिंह पुत्र मगनीराम जाति अहीर निवासी ग्राम जखराना तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:—— प्रार्थी अपीलांट

वनाम

1 काले खां पुत्र उमराव जाति मेव निवासी ग्राम वडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2 हरनाम सिंह पुत्र वीरसिंह जाति रायसिख ग्राम सोरखाकला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

3 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, मुण्डावर

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर दिनांक 7.6.2002

प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने अपील

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी :– श्री रवि गुप्ता

2. वकील अप्रार्थी :– श्री विनोद यादव

निर्णय

दिनांक 22.11.21

1 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 15/29 उनवान कालेखां वनाम हरनाम सिंह में पारित निर्णय दिनांक 7.6.2002 के खिलाफ एक अपील संख्या 94/2002 अदालत हाजा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

की धारा 76 के तहत पेश की थी, जो अपील अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 20.2.2018 के द्वारा अदग हाजरी अदग पैरवी में खारिज की गई थी । उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लेने हेतु यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा पेश किया गया है ।

2 प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुये विद्वान वकील प्रार्थी अपीलांट ने तर्क दिये कि हम प्रार्थीयान सरदार सिंह के पुत्रान हैं और एक मात्र वारिस है । हमारे पिता सरदार सिंह ने अदालत हाजा में अपील पेश की थी । हमारे पिता का देहान्त हो चुका है । हमें उक्त अपील की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही वकील साहब ने हमें कोई जानकारी दी । जब रेस्पो0 ने हमें दिनांक 17.12.2019 को बताया कि हमारे पिता द्वारा अदालत हाजा में पेश की गई अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 20.2.2018 को खारिज हो गई है, तब हमें जानकारी हुई । जानकारी की तिथि से यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश कर दिया है तथा जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे । विद्वान वकील प्रार्थी अपीलांट ने आगे तर्क दिये कि प्रकरण में हमारा हित निहित है । अपील के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज रहने से हमारे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा । हम नेक नियती से पैरवी करना चाहते हैं । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे ।

3 जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थी रेस्पो0 का कथन है कि देरी को तभी माफ किया जा सकता है, युक्तियुक्त कारण बताये जावें । इनको अपील पेश करने एवं अपील के अदम हाजरी अदम पैरवी में खरिज होने की पूर्व से ही जानकारी थी । विद्वान वकील अप्रार्थी ने आगे तर्क दिये कि मूल अपील जिला कलेंक्टर के आदेश की खिलाफ पेश की गई थी । जिला कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार वर्तमान में राजस्व अपील अधिकारी को नहीं है । ऐसी स्थिति में जब अदालत श्रीमान को क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नही तो अपील को पुनः नम्बर पर नहीं लिया जा सकता । अतः निवेदन है कि यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में मियाद बिन्दू पर उदार दृष्टिकोण अपनाने के सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाकर देरी को माफ किया जाता है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तजवीज थी कि जो दिनांक 20–02–2018 को अदम पैरवी में

5 इसके पश्चात क्षेत्राधिकारिता के बिन्दू पर गौर किया । इस सम्बन्ध में हमने राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः 1(17) राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 का अध्ययन किया, जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत जिला कलेक्टर के यहां पेश की अपील में पारित निर्णय की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील अधिकारी के यहां से समाप्त कर सम्भागीय आयुक्त को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं । मौजूदा प्रकरण में मूल अपील संख्या 94/2002 अदालत हाजा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ पेश की गई थी, जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा को नहीं है । जब मूल अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को नहीं है तो ऐसी स्थिति में रेस्टोरेशन का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

6 अतः आदेश है कि प्रार्थी अपीलांट का यह रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकारिता के बिन्दू पर खारिज किया जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर